शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट सर हानीय कार्य-दि0-30.11.2024

थाना सिंधौली पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त को मय आलाकत्ल कस्सी (कुदाल) सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय के निर्देशानुसार,श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां के कुशल पर्यवेक्षण में एंव प्रभारी निरीक्षक सिधौली के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित करके मुकदमा उपरोक्त में नामित/वांछित अभियुक्त नन्हे पुत्र सरदार उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम मूढाहारिस थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक-30.11.2024 को पेट्रोल पम्प सिंधौली के पास से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर आलाक्तल एक अदद कस्सी (कुदाल) की बरामदगी की गयी। आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त नन्हे उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 28.11.24 को वादी मुकदमा श्री सुशील की तहरीर के आधार पर पुरानी रंजिश को लेकर गाली- गलौज व मार पीट करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0- 578/2024 धारा-115(2)/351(2)/352 बी.एन.एस. बनाम नन्हे पुत्र सरदार नि0 ग्राम मूढाहारिस थाना सिंधौली जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, मजरूब राजेन्द्र की दौराने ईलाज मृत्यु हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा-105 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

पूछताछ विवरण

नन्हे पुत्र सरदार उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम मूढा हारिस थाना सिंधौली जिला शाहजहांपुर ने पूछने पर बताया कि गाँव के राजेन्द्र पुत्र नंदलाल ने मेरे खिलाफ चार साल पहले मुकदमा लिखाया था जो मा0 न्यायालय में चल रहा है मैं जब भी राजेन्द्र के घर के सामने से निकलता था तो वह मुझे बहुत ही टेढी नजर से देखता था घटना के दिन मैं उसी मुकदमे की तारीख लेकर शाहजहांपुर से आया था घर आकर मैंने कस्सी (कुदाल) लेकर घर के पीछे खेत में लगी गोभी की फसल को देखने चला गया व खेत में उगी घास की गोडाई कर मैं राजेन्द्र के घर के सामने से निकला तो राजेन्द्र गाँव के योगेन्द्र सिंह उर्फ कम्पोटर सिंह पुत्र गंगा सिंह के घर के बाहर चबूतरे पर बैठा था मुझे देखते ही वह घूरने लगा तो मैंने कहा कि मुझे हमेशा क्यों घूरता रहता है इस पर उसने मुझे गाली दी और मुझे मारना चाहा तो मैंने कस्सी (कुदाल) उसके सिर पर मारी, जब वहाँ पर मौजूद लोगों ने मुझे पकडना चाहा तो मैं वहाँ से गांव के उत्तर आलमपुर की तरफ भाग गया था साहब मुझसे बहुत बडी गलती हो गयी मुझे माफ कर दें ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

नन्हे पुत्र सरदार उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम मूढा हारिस थाना सिंधौली जिला शाहजहांपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0-578/2024 धारा 115(2)/351(2)/352/105 बी.एन.एस.।

बरामदगी का विवरणः-

आलाकत्ल एक अदद कस्सी (कुदाल)

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0-1847/2017 धारा-3/25 आयुध अधि0 थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर।

2.मु0अ0सं0-305/2019 धारा-60 आबकारी अधि0 थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर।

3.मु0अ0सं0-466/2020 धारा-363/376 भादवि, 3/4,16/17 पॉक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर।

4.मु0अ0सं0-565/2020 धारा-323/325/452/504/506 भादवि व 3(1) द SC/ST ACT थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर।

5.मु0अ0सं0-578/2024 धारा 115(2)/351(2)/352/105 बी.एन.एस. थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः

(I) प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र सिंह थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर

(II) अपराध निरीक्षक राजेश कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर।

(III) उप निरीक्षक रघुवीर प्रसाद थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर।

(IV) आरक्षी संदीप कुमार थाना सिधौली जनपद शाहजहांपुर।